दिनांक: 11-02-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा बाद मुठभेड़ 25000/- रूपये का इनामी वांछित अभियुक्त घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व 01 खोखा/03 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धऱपकड हेतु लगातार गश्त व सघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 10/11.02.2024 की रात्रि को जब चिलकाना पुलिस टीम गश्त पर थी तो मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर साईफन पुलिया से रावणपुर वाले रास्ते पर वांछित अपराधी की तलाश हेतु चैकिंग प्रारम्भ की गई। चैकिंग के दौरान पुलिस टीम को एक मोटरसाईकिल पर सवार दो सदिंग्ध व्यक्ति समीप आते दिखाई दिये, जिन्हे पुलिस टीम द्वारा रूकने का ईशारा किया गया। दोनो बदमाश ने मोटरसाईकिल से मौके से भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा घेर घोटकर बदमाशो को आत्मसमर्पण हेतु कहा गया तो बदमाशो ने अचानक से पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग मे एक बदमाश को दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश का अन्य साथी रात्रि में अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहा। घायल बदमाश को उपचार हेतु चिकित्सालय ले जाया गया है। मौके से फरार बदमाश की गिरफ्तारी हेतु काम्बिंग की जा रही है। घायल/गिरफ्तार बदमाश की पहचान **भूरा उर्फ बुरहान पुत्र ईऱफान निवासी दुमझेडा थाना चिलकाना, सहारनपुर** के रूप में हुई है। **भूरा उर्फ बुरहान उपरोक्त थाना चिलकाना पर पंजीकृत मु0अ0स0 31/24 धारा 307 भादवि में दिनांक 04.02.2024 को अपने अन्य साथियों के साथ पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने के अभियोग का वांछित** एवं **25,000/- रूपये का इनामी अभियुक्त है।** अभियुक्त बुरहान उपरोक्त पर जनपद **सहारनपुर एवं हरियाणा राज्य में लूट, हत्या, पशु चोरी के लगभग एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं** एवं अभियुक्त थाना चिलकाना के **रजिस्टर्ड गैंग का भी सदस्य** है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त भूरा उर्फ बुरहान उपरोक्त ने बताया मैं और मेंरा दोस्त जो आज मेरें साथ था हम दोनो नशे के आदी है तथा नशे की पूर्ति के लिए आने जाने वालो से चोरी छीना-झपटी, लूटपाट, पशु चोरी व अन्य गलत काम करते हैं। मैने टोडरपुर मे कमरा किराये पर ले रखा है, मैं वहीं छिपकर रहता हूँ। आज भी हम दोनो लूटपाट की योजना बनाकर निकले थे, लेकिन अचानक सामने पुलिस देखकर अपने आप को पकडे जाने से बचाने के लिए हमने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुझसे जो तमंचा मिला है यह वही तमंचा है जिससे मैंने अपने साथी बिलाल और मुमताज के साथ एक हफ्ते पहले भी पुलिस टीम पर फायरिंग की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- भूरा उर्फ बुरहान पुत्र ईरफान निवासी दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 देशी तमंचा 315 बोर
- 03 जिन्दा/01 खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 मोटरसाइकिल टी0वी0एस0 रेडियान

अभियुक्त भूरा उर्फ बुरहान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0-115/14 धारा-392 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
2. मु0अ0सं0-157/14 धारा-302/307 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
3. मु0अ0सं0-171/14 धारा-392 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
4. मु0अ0सं0-277/14 धारा-379/411 भादवि थाना यमुनानगर हरियाणा
5. मु0अ0सं0-111/20 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना को० देहात सहारनपुर
6. मु0अ0सं0-146/20 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
7. मु0अ0सं0-001/21 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
8. मु0अ0सं0-002/21 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
9. मु0अ0सं0-463/21 धारा-379 भादवि थाना गांधीनगर यमुनानगर हरियाणा
10. मु0अ0सं0-31/2024 धारा-307 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री कपिल देव थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री करण नागर थाना चिलकाना जनपद सहरानपुर।
3. है0का0 246 हेमन्त थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
4. का0 2261 राजेन्द्र राणा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद, सहारनपुर पुलिस द्वारा युवती को बहला फुसलाकर ले जाने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार एवं अपहर्ता सुकशल बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 06.02.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत वादी की पुत्री को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर ले जाने के संबंध में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 56/2024 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अपहर्ता की तलाश एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी देवबंद श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया एवं 01 **अभियुक्त फरमान पुत्र महरबान नि0 मौ0 नवाबगंज गली न0 2 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर** को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फरमान पुत्र महरबान नि0 मौ0 नवाबगंज गली न0 2 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री राजन पुण्डीर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. का0 1980 योगेश कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. म0का0 310 राखी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 11.02.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से 190ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण व मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष फतेहपुर श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 11.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर गश्त एवं चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त **शिव कुमार पुत्र जगपाल निवासी ग्राम इटावा थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर** को बडकला फ्लाई ओवर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 190 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 21/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ करने पर अभियुक्त उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मैं कम पढा लिखा हूँ और नशा करने का आदी हूँ। सस्ते दामों में चरस खरीद कर अपने आस-पास के क्षेत्रों में ज्यादा पैसों में बेच देता हूँ । जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शिव कुमार पुत्र जगपाल निवासी ग्राम इटावा थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

190 ग्राम अवैध चरस बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 सौरभ यादव थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 738 विनोद कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 11.02.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से 12 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण व मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी बेहट सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा **प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में** आज दिनांक 11.02.2024 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान 01 **अभियुक्त सूफियान पुत्र रियाजुल निवासी ग्राम पठानुपरा थाना बेहट जिला सहारनपुर** को पठानपुरा से बिजली टावर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 12 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0स0 47/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मैं कम पढा लिखा हूँ व नशा करने का आदि हूँस्मैक सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रो में अधिक दाम पर बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सूफियान पुत्र रियाजुल निवासी ग्राम पठानपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

बरामदगी -

12 ग्राम अवैध स्मैक नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।

2.उ0नि0 श्री रोविल्स कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।

3. है0का0 521 सुनील राणा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।

4.का0 1323 कुलदीप कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।

दिनांक-11.02.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र डेढ घण्टे में मन्दिर से चोरी करने वाले 02 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 छोटी घण्टी पीली धातु की, 01 शेष नागफन (टुकडो में) पीली धातु, 300/- रूपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 11.02.2024 वादी पण्डित श्री मोहित शर्मा मुख्य पुजारी पंचायती शिव मन्दिर सन्त नगर थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा पंचायती शिवमन्दिर सन्तनगर से पूजा की घण्टी, शिवलिंग से शेषनाग व चढावे के 500–600 रुपये चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0 19/24 धारा 380 भादवि के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए मात्र डेढ़ घण्टे में मन्दिर से चोरी करने वाले 02 शातिर चोर/अभियुक्तगण 1. शुभम उर्फ लक्की पुत्र स्व अशोक पराशर नि0 रूडकी कैम्प एफ 10 म0न0, गोपाल नगर, थाना कोतवाली नगर सहारनपुर 2. मयंक शर्मा पुत्र गुलशन शर्मा निवासी पाल डेरी के पास न्यू गोपाल नगर, थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर को न्यू गोपाल नगर कृषि विज्ञान केन्द्र का पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तो के कब्जे से मन्दिर से चोरी गया सामान 01 छोटी घंटी (पीली धातु), 01 शेष नागफन टुकडो में (पीली धातु), 300/- रुपये नकद बरामद किये गये । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनो दोस्त है और नशा करने के आदी है और अपनी नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए चोरी कर लेते है और चोरी किये गये सामान को बेचकर जो पैसे मिलते है। उससे अपनी नशे की लत पूरा कर लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1. शुभम उर्फ लक्की पुत्र स्व अशोक पराशर नि0 रूडकी कैम्प एफ 10 म0न0, गोपाल नगर, थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
2. मयंक शर्मा पुत्र गुलशन शर्मा निवासी पाल डेरी के पास न्यू गोपाल नगर, थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

विवरण बरामदगी –

01 छोटी घंटी (पीली धातु) की

01 शेष नागफन टुकडो में (पीली धातु)

3. 300 रुपये नकद बरामद

अभियुक्त मयंक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 46/2020 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 281/2023 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 19/2024 धारा 380/411 भा.द.वि. थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

अभियुक्त शुभम उर्फ लक्की उपरोक्त का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 216/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 19/2024 धारा 380/411 भा.द.वि. थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।
2. है0का0 122 संजय कुमार थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।
3. का0 2491 राहुल कुमार थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक:11.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से चोरी का सामान 01 सिलाई मशीन व 01 ब्लूटूथ स्पीकर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 19.11.2023 को वादी जावेद पुत्र जमशैद निवासी पुदीना वाली गली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ने लिखित प्रार्थना पत्र बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की दुकान से सिलाई मशीन व हौजरी का कपडा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 266/2023 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 11.12.2023 को वादिनी श्रीमती राहत जहरा इंचार्ज अध्यापिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सडक दूधली थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर ने लिखित प्रार्थना पत्र बाबत अज्ञात चोर द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय से इन्वर्टर बैटरा, म्यूजिक सिस्टम आदि सामान चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 289/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त दोनों मुकदमों प्रभावी कार्यवाही करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त **शाहबुद्दीन पुत्र अब्दुल शहीद निवासी सडक दूधली थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे रजवाहे की तरफ टीपी नगर की बाउंड्री के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 सिलाई मशीन (दिया कम्पनी) रंग काला सम्बन्धित मु0अ0सं0 266/23 व 01 ब्लूटूथ स्पीकर (न्यूटान कम्पनी रंग काला) सम्बन्धित मु0अ0सं0 289/23 धारा 379 भादवि में बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोकत में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि जो सिलाई मशीन आज मुझसे पुलिस टीम द्वारा बरामद की गयी है वह मैने अपने घर के पास जावेद की दुकान से लगभग तीन महीने पहले चुराई थी और उसी रात मैने दुकान से मशीन के साथ-साथ इन्वर्टर बैटरा व फोम भी चुराया था और पहचान छुपाने के लिये मैने वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड कर जला दिया था। अभियुक्त के पास से मिले कपडे के थैले से ब्लूटूथ स्पीकर रंग काला (न्यूटान कम्पनी) के बारे में पूछने पर अभियुक्त ने बताया कि यह स्पीकर, इन्वर्टर बैटरा व म्यूजिक सिस्टम मैने अपने गांव के सरकारी प्राईमरी स्कूल से भी लगभग दो महीने

पहले रात के समय चुराया था और सामान उसी रात को ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे रजवाहे की तरफ टीपी नगर की बाउंड्री के पास झाडियों में लाकर छिपा दिया था और अगले दिन राह चलते एक आदमी को स्कूल से चुराया हुआ सारा सामान 5000/- रूपये में बेच दिया था, और सारा पैसा मौज मस्ती में खर्च कर दिया था। सिलाई मशीन व स्पीकर का कोई ग्राहक नहीं मिला था इसलिए सिलाई मशीन व स्पीकर छिपाकर मैने झाडियों में रख दिया था और सोचा कि पैसे खत्म होने के बाद बचे सामान को भी बेच दूंगा लेकिन इसी बीच थाना सदर बाजार की पुलिस ने मुझे पकडकर जेल भेज दिया जिस कारण मैं इस सामान को नहीं बेच पाया था अभी मैं कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आया हूँ और आज इस सामान को बेचने जा रहा था कि पुलिस टीम ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शाहबुद्दीन पुत्र अब्दुल शहीद निवासी सडक दूधली थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

01 सिलाई मशीन (दिया कम्पनी)

01 ब्लूटूथ स्पीकर (न्यूटान कम्पनी)

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 527/2023 धारा 414 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री पीयूष कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. है0कां0 113 विकास कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3. है0कां0 731 पोपिन कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।